संख्या -20/877/63-व0उ0-2016-209(एच)/2014

प्रेषक,

हरिशंकर भट्ट
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2016

विषय:- पावरलूम उद्योग का विकास (ए0सी0पी0) योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-317/ह0क0-पावरलूम/2016-17 दिनांक 04.06.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पावरलूम उद्योग का विकास योजनान्तर्गत 100 पावरलूम इकाईयों (परिक्षेत्र मऊ-21, इटावा-30, अलीगढ.-21, झांसी-20 एवं मेरठ-8) के संलग्न प्रस्तावों के अनुसार रू0 3,10,00,000.00 (रूपया तीन करोड़, दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसका वितरण किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में योजना के गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया है तथा योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण परिपालन एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित शर्तो के अनुसार व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानकों व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग/व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग होने की दशा में विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश शासन को निर्धारित प्रपत्रों में यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2851 ग्रामतथा लघु उद्योग-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पावरलूम का विकास-27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश समाज कल्याण विभाग के आदेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त। (100 पावरलूम इकाईयों की सूची)

भवदीय,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

संख्या- 877(1)/63-व0उ0-2016, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायते, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- वित्त ई-3 अनुभाग/वित्त(बजट) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
6- कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।
7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in